

①

Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)

Dept. of Commerce

Sub: Business Organisation (Sub)

Paper: 1st, SNSRS College, SAHARSA

Date: Lecture: 89

Page: _____

B. Com Part - 1st

* Introduction

** Distinction Between Joint Stock Co. and Partnership ** (संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी और साझेदारी)

क्रम सं.	अंतर का आधार	संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी	सार्वजनिक साझेदारी
1.	<u>वैधानिक व्यक्ति एवं पृथक् अस्तित्व</u>	यह विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है। इसका अस्तित्व अपने सदस्यों (अंशधारियों) से पृथक् होता है।	साझेदारी का निर्माण आपसी समझौते द्वारा होता है। साझेदार और साझेदारी का अस्तित्व नहीं है। वे दोनों एक ही हैं।
2.	<u>सदस्यों की अधिकतम संख्या :-</u>	इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। केवल इतना प्रतिबंध अवश्य है कि इसमें निर्मित अंशों की संख्या से अंशधारियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए।	इसमें साधारण व्यापार के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 है और बेकिंग व्यापार के लिए संख्या 10 है। इस सीमा को पार कर जाने से साझेदारी अवैध हो जाती है।
3.	<u>न्यूनतम संख्या :-</u>	इसके निर्माण के समय कम से कम सात सदस्यों का होना आवश्यक है।	इसके निर्माण के समय कम से कम अर्थात् केवल दो सदस्यों का होना सहाय है।
4.	<u>सम्पत्ति अधिकार :-</u>	संयुक्त रूप से सम्पत्ति में सम्पत्ति अंशधारियों की होती है।	साझेदारी में सम्पत्ति सदस्यों की होती है।

5.	<u>समामेलन अथवा पंजीयन</u> :- संयुक्त स्कन्ध समारण्य का समामेलन करना अनिवार्य है।	साझेदारी फर्म की रजिस्ट्री करना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है।
6.	<u>दायित्व</u> :- अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा रखा गया अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है।	साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है।
7.	<u>ऋणदाता</u> :- कम्पनी के ऋणदाताओं (Creditors) का सम्बन्ध अंशधारियों से नहीं होता है क्योंकि कम्पनी एवं उसके अंशधारियों में एक दूसरे से पृथक् है।	इसमें ऋणदाताओं तथा सदस्यों का सीधा संबंध रहता है। यदि ऋणदाता चाहे, तो वह समस्त ऋण को केवल एक सदस्य से भी वसूल कर सकता है।
8.	<u>संबन्ध में भाग लेना</u> :- अंशधारियों को कम्पनी के मामलों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसका सम्बन्ध उनके द्वारा चुने गये संचालकों के हाथ में रहता है।	इसमें प्रत्येक सदस्य सक्रिय रूप से सम्बन्ध में भाग ले सकता है।
9.	<u>हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण</u> :- अंशधारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कर सकते हैं।	प्रत्येक साझेदार हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है।
10.	<u>हित हस्तान्तरण</u> :- साधारणतया अंशधारियों अपने अंशों का हस्तान्तरण स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं। किन्तु निजी कम्पनी में अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध होता है।	साधारणतया कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तान्तरण नहीं कर सकता है। ऐसा केवल उसी दशा में सम्भव है जबकि अन्य सभी सदस्य सहमत हों।

11.	<u>परिवर्तन</u> <u>अपवालोच</u>	कम्पनी अपने सीमानियम और पाषट् अन्तर्नियमों में बंधी होती है, जो सन्निधम के अनुसार बहुत ही सीमित अवस्था में बदले जा सकते हैं।	साझेदार चाहे जब साझेदारी संस्तर में परिवर्तन सर्वसमति से कर सकते हैं।
12.	<u>अंकेक्षण</u> :-	लेखा पुस्तकों का किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अंकेक्षण कराना अभिवार्य है। यदि हिसाब को उचित त दंड से नहीं रखा गया है तो दांड भी दिया जा सकता है।	ऐसा करने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। यदि साझेदार चाहे तो वे अंकेक्षण करा सकते हैं।
13.	<u>अनुबन्ध</u> :-	अंशधारी कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर सकते हैं।	साझेदारों के साझेदार साझेदारी के साथ कोई अनुबन्ध नहीं कर सकते हैं।
14.	<u>लाभ का वितरण</u> :-	कम्पनी का लाभ लाभशों (Dividends) के रूप में बांटा जाता है। अधिक लाभ होने की स्थिति में अन्तरिम लाभशों की घोषणा की जा सकती है।	लाभ का वितरण परस्पर ठहराव के अनुसार किया जाता है या पूंजी के समानुपात से किया जाता है।
15.	<u>प्रतिनिधि</u> <u>व्यवस्था</u> :-	संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी में उसका हत्येक अंशधारी कम्पनी का प्रतिनिधि नहीं होता।	साझेदारी में उसका हत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि माना जाता है।
16.	<u>विधान</u> :-	संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी भारतीय कम्पनी -	साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम -

अधिमार्ग 1938, द्वारा नियंत्रित होती है।

साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिमार्ग 1932 द्वारा नियंत्रित होती है।

17. वास्तविकता:- एक अंशधारी अपने कार्यों से कम्पनी को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि अंशधारी का कर्तव्य ही है प्रत्येक अस्तित्व होता है।

एक साझेदारी अपने कार्यों से साझेदारी को बाध्य कर सकता है, क्योंकि उसका साझेदारी से प्रत्येक अस्तित्व नहीं होता है।

18. जीवन:- कम्पनी का जीवन सामान्य रूप में साझेदारी की तुलना में अधिक लंबा होता है।

साझेदारी का जीवन सामान्यतः कम्पनी की तुलना में छोटा होता है। किसी भी आकस्मिक घटना के घटित होने पर साझेदारी को बंद करना पड़ सकता है।

19. समापन:- कम्पनी का समापन न्यायालय द्वारा अंशधारियों की स्मृति में पारित हस्ताव द्वारा अथवा अंशधारियों की मौजूदगी पर किया जा सकता है।

साझेदारी की समाप्ति तब तक नहीं होती जब तक कि सभी साझेदारों की सर्व सम्पत्ति को अथवा किसी आकस्मिक घटना (जैसे - साझेदार की मृत्यु, पान्तत्वपन, दिवालियापन, आदि) के घटित होने पर हो जाती है।

Dr. Honey Sinha

Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
SNRSRKS College, Saharsa